SRCC के मेधावी छात्र

SRCC अपने नए बैच का स्वागत करने वाला है। आम धारणा के अनुसार, इस कॉलेज में विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़े छात्र दाखिला लेते हैं जो इसे सांस्कृतिक रूप से एक समावेशी स्थान बनाते हैं। असल में यह इस कॉलेज का बड़ा ही अच्छा वर्णन है। लेकिन, क्या यह सच है? क्या वाकई में SRCC अलग-अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है या यह महज कुछ विशेष तबकों का महाविद्यालय बनकर रह गया है?

SRCC में दाखिला सिर्फ योग्यता के आधार पर होता है जिसका निर्धारण दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप, बारहवीं कक्षा में प्राप्त किए गए अंकों द्वारा किया जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी तरह से परिणामों को निजी पक्षपात के द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता है, जो कि भारत के विभिन्न स्थानों में होता दिखाई देता है।

अब, यह मानते हैं कि कुछ समुदाय जन्म-जात रूप से औरों से ज्यादा होशियार नहीं होते हैं, इसलिए, हम SRCC में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों से आए लोगों के एक वाजिब संतुलन की अपेक्षा करते हैं। लेकिन, SRCC में हमारी आशा के विपरीत छात्रों का प्रवेश स्वाभाविक नहीं है, वरन् यहाँ पर एक अजीब किस्म के सिलसिले की शुरुआत की जा रही है।

SRCC, अन्य कॉलेजों के मुकाबले अधिक उच्च वर्ग एवं वर्ग विशेष के लोगों का घर बन गया है। यहाँ पर असल में अंग्रेजी भाषी, शहरी तथा उच्च वर्ग एवं जाति के लोगों का ही बोलबाला है। यहाँ पर दलित एवं अल्पसंख्यक वर्गों की उपस्थिति बेहद कम है। इसलिए, यहाँ पर लोगों का मूल्य उनकी प्रतिभा से नहीं बल्कि उनके विशेषाधिकारों से तय होता है।

इस तरह का पैटर्न, निचले तबके के लोगों के साथ हर स्तर पर होने वाले दोहरे व्यवहार के कारण उत्पन्न होता है, जिसमें उन्हें अवसरों से वंचित रखना, बेहतर स्कूली शिक्षा का अभाव और निम्न दर्जे का सामाजिक वातावरण शामिल है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय एवं कॉलेज की नीतियाँ भी इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। समाज के हर स्तर पर निम्न वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, जिसमें समुदाय, जाति एवं क्षेत्र के आधार पर होने वाला पक्षपात अत्यंत चिंता का विषय है। ये सभी श्रेणियाँ अंतर्निहित हैं और इन पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

SRCC, दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे महंगे कॉलेजों में से एक है। SRCC की सालाना फीस ₹30000 है जो कि बाकी कॉलेजों से काफी ज्यादा है, जो लगभग ₹10000 तक है। इतना बड़ा अंतर, आय-वर्ग के निचले स्तर पर खड़े परिवारों के लिए तय कर पाना बेहद मुश्किल होता है। इतनी ज्यादा फीस उतनी ही बड़ी या कम-से-कम एक पर्याप्त छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) की मांग करती है। लेकिन, असल में छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या और छात्रवृत्ति की राशि दोनों ही बहुत कम हैं। केवल कुछ ही विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाने में सफल होते हैं और उसमें भी छात्रवृत्ति की राशि कॉलेज की फीस की आधी भी नहीं होती है।

एक और अहम पहलू, विद्यार्थियों के लिए सस्ती आवासीय सुविधाओं का होना है। सिर्फ कुछ ही विद्यार्थियों को कॉलेज में छात्रावास (होस्टल) प्रदान किया जाता है और उसकी संख्या केवल 50 है। ऐसे में, छात्रों के पास महंगे किराए के होस्टलों में रहने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं रहता है। आखिर में, कॉलेज की फीस और रहने एवं खाने के खर्च को मिलाकर कुल वार्षिक व्यय ₹150000 तक पहुँच जाता है, जो किसी आम छात्र के लिए एक पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। इसलिए जो परिवार इतना खर्च उठा सकते हैं, सिर्फ उन्हीं के बच्चे इस कॉलेज में आ सकते हैं। इस प्रकार, वे छात्र जो कॉलेज में दाखिला लेने के बाद भी कॉलेज की दहलीज पार नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आरक्षण महज एक भद्दा मजाक बनकर रह जाता है।

हालाँकि, यह समझना जरूरी हो जाता है कि धन का अभाव छात्रों के लिए कॉलेज पहुँचने से पहले ही मुश्किल का सबब बन जाता है। जब सार्वजनिक शिक्षा को किनारे किया जाता है और इसे बर्बाद किया जाता है तथा इसके साथ-साथ अच्छी शिक्षा केवल कुछ ही वर्गों तक सीमित रह जाती है, तब आर्थिक रूप से कमजोर समाज का एक बड़ा वर्ग गुणवत्ता युक्त शिक्षा से वंचित रह जाता है। आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि निजी स्कूल, सरकारी स्कूलों के विपरीत अधिक अंक दिलाने की मशीन बन गए हैं, जिससे SRCC के साथ-साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के दूसरे कॉलेजों में भी जाने का रास्ता साफ हो जाता है। यह गौर करने वाली बात है कि बिहार बोर्ड में प्राप्त किए गए उच्चतम अंक भी SRCC सरीखे कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए नाकाफी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बिहार बोर्ड के छात्र हमेशा के लिए SRCC में दाखिला लेने से वंचित रह जाते हैं।

निजी स्कूलों की उपस्थिति शहरी क्षेत्रों में ही ज्यादा है, और SRCC में ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले ज्यादातर छात्र भी केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों से हैं जहाँ पर सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर है। इसलिए, सार्वजनिक शिक्षा को अनदेखा करना और साथ-साथ शिक्षा का निजीकरण समाज के एक बड़े तबके को गर्त में लेकर जा रहा है। और, इसका परिणाम यह हो रहा है कि एक बड़े स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्र उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।

यदि हम क्षेत्रीय पहलू पर विचार करें तो हम यह पाते हैं कि SRCC में प्रवेश करने वाले ज्यादातर छात्र दिल्ली या दिल्ली NCR क्षेत्रों से हैं, जिन्हें SRCC में घुलने-मिलने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन, ऐसा सहायक वातावरण दक्षिण भारतीय, विशेष-कर तमिल छात्रों को प्राप्त नहीं होता है, वरन् उन्हें नीची नजरों से देखा जाता है और उनकी बढ़ती संख्या पर भौंहें सिकोड़ ली जाती हैं। और, इन राज्यों के शिक्षा बोर्डों को यह कहकर दोषी ठहराया जाता है कि ये जानबूझकर बच्चों को अधिक अंक देकर SRCC पहुँचाने में सहयोग करते हैं। दुर्भाग्य से, बच्चों के साथ-साथ शिक्षकगण भी दक्षिण भारतीय छात्रों के साथ तमिलनाडु बोर्ड के छात्रों द्वारा 'सीट हड़पने' के नाम पर सौतेला व्यवहार करते हैं।

2017 में, B.COM (Honours) के लिए प्रवेश के मापदंडों में इस प्रकार बदलाव किया गया ताकि इससे दक्षिण भारत से आने वाले छात्रों की संख्या को नियंत्रित करने के एजेंडे को पूरा किया जा सके। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार, बेस्ट-ऑफ़-फ़ोर की गणना के दौरान, LIST A में से, जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा अन्य भारतीय भाषाएँ भी शामिल हैं, कम-से-कम एक भाषा का चयन अनिवार्य है। लेकिन, 2017 में, B.COM (Honours) के एक विशेष नियम के तहत इस प्रक्रिया में इस प्रकार बदलाव किया गया कि अब केवल हिन्दी या अंग्रेजी में से ही किसी एक भाषा का चुनाव किया जा

सकता है। यह उन छात्रों के लिए एक बड़ा झटका था जिन्होंने अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ पढ़ी हैं। इस बदलाव के बाद तमिलनाडु से आने वाले छात्रों की संख्या में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। B.COM (Honours) के दाखिले की प्रक्रिया में किए गए इस बदलाव को कॉलेज की एक वर्ग-विशेष के प्रति वफादारी के अलावा और कोई तथ्य नहीं समझा सकता है।

यदि अब हम जाति की दृष्टि से देखें, तब हम यह देखते हैं कि भारत में लोगों की जाति और वर्ग एक-दूसरे से संबंधित हैं और इस प्रकार, आर्थिक रूप से किया जाने वाला भेदभाव अपने आप ही पिछड़ी जातियों के साथ पक्षपात का रूप धारण कर लेता है। इसके बाद यह भेदभाव बड़े ही रहस्यमय ढंग से काम करता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि पहले बताया गया है, अन्य राज्य शिक्षा बोर्ड के छात्रों के साथ-साथ दक्षिण भारतीय विद्यार्थियों के साथ होने वाला पक्षपात कभी भी एक मुखर रूप नहीं ले पाता है। इसके अतिरिक्त, भारत के विभिन्न हिस्सों में मौजूद मुखर जातिगत भेदभाव, और पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को बहिष्कृत करने के साथ-साथ उनमें भय का माहौल पैदा करना उनके लिए आगे बढ़ना और भी मुश्किल कर देता है, जिसकी वजह से आगे वे प्रतिष्ठित कॉलेजों में प्रवेश करने से और भी दूर हो जाते हैं।

लेकिन, केवल मजबूत आरक्षण व्यवस्थाएँ ही हैं जो कि पिछड़ी जातियों और संसूचित जातियों एवं जनजातियों के छात्रों के प्रवेश में वृद्धि करने में एक अहम भूमिका निभाती हैं। एक शिक्षक जो कि छात्रवृत्ति समिति का हिस्सा थे, उनके द्वारा यह देखा गया कि निम्न आय वाले छात्र अनुसूचित जातियों से भी थे। आय का मूल्यांकन, स्कूल में दी जाने वाली फीस और आय प्रमाण-पत्र पर आधारित था। इससे यह पाया गया कि 80 प्रतिशत सबसे गरीब तबका अनुसूचित जातियों से ताल्लुक रखता था। यह दर्शाता है कि गरीब जो SRCC पहुँचते हैं, वे भी मुख्यतः आरक्षण के कारण ही आ पाते हैं।

हालाँकि, हमने यह देखा है कि आरक्षण व्यवस्था विविधता-पूर्ण एवं समावेशी वातावरण निर्मित करने में सहयोग देता है लेकिन, कभी-कभी यही व्यवस्था नाइंसाफी और भेदभाव का कारण बन जाती है। उदाहरण के तौर पर, रजिस्ट्रेशन के समय OBC छात्रों के लिए पक्षपात-पूर्ण फीस-स्ट्रक्चर भी भेदभाव की एक वजह है। इन्हें (OBC छात्रों को) EWS छात्रों से ₹450 ज्यादा देने होते हैं, जबकि EWS की आय की सीमा आठ लाख रुपये है। अतः, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए, पिछड़ी जातियों के छात्रों को हर पड़ाव पर पक्षपात-पूर्ण रवैये से दो-चार होना पड़ता है।

इनमें से कुछ भी अपवाद की संभावनाओं को खत्म नहीं करते हैं और ऐसे कई अपवाद हैं जो कि कॉलेज की इच्छा के विपरीत मौजूद हैं। लेकिन, इसके बाद कॉलेज का रवैया इस तरह का होता है कि यह सिर्फ वर्ग-विशेष के छात्रों की छँटाई करता है और असंगत रूप से उन्हें आगे बढ़ाता है। कॉलेज के पास अपने लक्ष्य तक पहुँचने का अपना ही एक अलग तरीका होता है, जिसके बारे में भविष्य के लेखों विस्तार से चर्चा की जाएगी।

अंत में, यह कहना यहाँ जरूरी हो जाता है कि ऊपर उल्लेखित बिंदु, हमारी योग्यता की धारणा पर एक गंभीर प्रश्न खड़ा करते हैं, और इसकी अतिपवित्र प्रकृति पर बट्टा लगाते हैं। यदि वे जो इस योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं, सीमित हैं, और इसके अतिरिक्त योग्यता सिर्फ एक विशेष सामाजिक तबके तक ही केंद्रित है, तब हम योग्यपूर्ण नहीं, बल्कि कुछ विशेष लोगों को ही चुन रहे हैं। हालाँकि, हमने योग्यता के बारे में उस खोखले सोच की गहन पड़ताल नहीं की है, जिसने दुनियाभर की शिक्षा-व्यवस्था को एक साँप

की तरह जकड़ रखा है, लेकिन हमने इसे अपने कॉलेज की प्रवेश प्रक्रिया द्वारा समझा है। यह वाकई में काफी डरावना है कि कॉलेज पहले पड़ाव से ही केवल विशेषाधिकारों को संरक्षित करने के अलावा और कुछ भी नहीं करता है।